प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुये वर्ष के लिए प्रतिवेदन में बिहार सरकार के वाणिज्य–कर, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, भू–राजस्व तथा खान एवं भूतत्व विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2011–12 की अवधि हेतु लेखाओं की वर्ष 2012–13 के दौरान नमूना जाँच के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2011–12 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अर्न्तराष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।